BSES

बिजली चोर को 6 महीने की सजा, व 4.3 लाख रूपये का जुर्माना

- 16 किलोवॉट बिजली की चोरी कर रहा था
- प्लास्टिक मॉल्डिंग फैक्ट्री चला रहा था
- बीएसईएस ने किया था, 5.72 लाख रूपये का जुर्माना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2007। दिल्ली में बिजली चोरों के लिए एक बुरी खबर है। विकासपुरी स्थित बिजली के स्पेशल कोर्ट ने एक प्लास्टिक मॉल्डिंग फैक्ट्री के मालिक को, बिजली चोरी के जुर्म में 6 महीने की सजा सुनाई है। 6 महीने की जेल के अलावा, कोर्ट ने उसे 4.3 लाख रूपये का जुर्माना भी चुकाने को कहा है। फक्ट वह 16 किलोवॉट की सीधी बिजली चोरी कर रहा था। फैक्ट्री मालिक 16 किलोवॉट की सीधी बिजली चोरी कर रहा था।

दरअसल, बीआरपीएल एन्फोर्समेंट टीम ने पश्चिमी दिल्ली के बिंदापुर गांव के 45 नंबर मकान में प्लास्टिक मॉल्डिंग फैक्ट्री चलाने वाले धर्मराज को 18 जुलाई, 2005 को 176 किलोवॉट बिजली की चोरी के आरोप में पकड़ा था। बिजली कानून के तहत उस पर 5.72 लाख रूपये का जुर्माना किया गया। लेकिन आरोपी ने जुर्माने की रकम अदा नहीं की। इसके बाद बीएसईएस ने स्पेशल कोर्ट में मामला दर्ज कराया।

दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद, स्पेशल कोर्ट ने धर्मराज को बिजली चोरी का दोषी करार दिया और 6 महीने की कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा, बिजली कानून के तहत उसे 4.3 लाख रूपये का जुर्माना भी चुकाने का कहा गया।

बीएसईएस के एक अधिकारी के मुताबिक, बीएसईएस की दोनों कंपनियों ने अब तक स्पेशल कोर्ट्स में बिजली चोरी के 5000 से अधिक मामले दर्ज कराए हैं। 175 बिजली चोरों को जेल हो चुकी है। इन लोगों ने कुल 2400 दिन जेल में गुजारे हैं।

जहां तक उत्तम नगर इलाके में बिजली चोरी की बात है, तो बीएसईएस ने अब तक इस इलाके में बिजली चोरी के 3800 मामले पकड़े हैं। 12,400 किलोवॉट की बिजली चोरी पकड़ी है और बिजली चोरों पर 16 करोड़ रूपये का जुर्माना भी ठोंका है।

BSES, Delhi's premier power distribution company, is committed to ensuring quality and reliable electricity supply to all its consumers.

For further information please contact:

Prashant Dua
Corporate Communications
39999870 / 9312007822

Chandra P Kamat
Corporate Communications
39999088/9350130304